

**न्यायालय :- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्यवहार वाद क्रमांक-64 ए/2013

संस्थापन दिनांक-02.12.2013

फाईलिंग क्र. 234503003882013

1-श्रीमती बतनबाई पति स्व. श्री मंगलसिंह, उम्र-62 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम कोहका, प.ह.नं. 20, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-शोभितसिंह पिता स्व. श्री जुगतीसिंह, उम्र-48 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम भिमोड़ी, प.ह.नं 20, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **वादीगण**

विरुद्ध

1-रामप्रसाद पिता स्व. बिसराम, उम्र-35 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम निलजी, तहसील वारासिवनी,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-श्रीमती कलाबाई पिता स्व. बिसराम, उम्र-40 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम निलजी, तहसील वारासिवनी,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3-रेमेश्वरी पिता स्व. बिसराम, उम्र-33 वर्ष, जाति गोंड,
निवासी-ग्राम निलजी, तहसील वारासिवनी,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

4-म.प्र राज्य द्वारा कलेक्टर बालाघाट,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- **प्रतिवादीगण**

-: // निर्णय // :-

(आज दिनांक-15/03/2016 को घोषित)

1- वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह व्यवहार वाद मौजा कोहका, प.
ह.नंबर-20 रा.नि.मं. बैहर में स्थित खसरा नंबर-69/1, 69/2 रकबा क्रमशः 2.10, 2.

11 एकड़ भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा) पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।

2— प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

3— वादीगण के अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि वादीगण की पैतृक खानदानी भूमि है, जो मूल पुरुष नंदू के द्वारा दिनांक-25.09.1972 एवं 24.05.1975 को बख्शीश में प्राप्त करने पर वादी क्रमांक-1 व प्रतिवादी क्रमांक-2 की माँ बजरोबाई के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज चली आ रही थी। वादीगण की माँ ने प्रतिवादीगण के पिता को विवादित भूमि का अंतरण नहीं किया है, परन्तु प्रतिवादीगण के पिता ने अपना नाम फर्जी रूप से विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में दर्ज करा लिया। वादीगण ने विवादित भूमि पर कब्जेदार की हैसियत से तहसीलदार बैहर के राजस्व प्रकरण क्रमांक-7 अ-6-अ वर्ष 2011-12 में विधिवत् रूप से आदेश दिनांक-13.04.2012 अनुसार राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराया है। वादीगण विगत 40-50 वर्षों से विवादित भूमि पर लगातार शांतिपूर्वक प्रतिवादीगण की जानकारी में काबिज कास्त चले आ रहा है। वादीगण ने प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर विवादित भूमि पर स्वत्व की घोषणा एवं विवादित भूमि का अंतरण करने से रोकने हेतु प्रतिवादी क्रमांक-1 से 3 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष की मांग की है।

4— प्रतिवादी क्रमांक-1 ने लिखित कथन एवं प्रतिदावा प्रस्तुत कर वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए यह अभिवचन किया है कि विवादित भूमि को प्रतिवादी क्रमांक-1 के पिता बिसराम ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के माध्यम से वादी क्रमांक-1 व उसकी बहन कय कर कब्जा प्राप्त किया था। विवादित भूमि को प्रतिवादी क्रमांक-1 के पिता ने वादीगण से ठेके कास्त पर दे दिया था तथा प्रतिवादी के पिता के जीवनकाल तक वादीगण ने ठेके की राशि अदा की है। वादीगण ने वर्ष 2010-11 से प्रतिवादी क्रमांक-1 को ठेका राशि देना बंद कर दिया है और भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख खसरा के कॉलम नंबर-12 में वादीगण ने कब्जा हेतु अवैध रूप से कार्यवाही कर प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिए बगैर अपना नाम दर्ज करा लिया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण ने विवादित भूमि को हड़पने हेतु यह दावा पेश किया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 को विवादित भूमि का रिक्त आधिपत्य वादीगण से दिलाया जाए।

5— प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक-2 से 4 की ओर से लिखित कथन पेश नहीं किये गए हैं तथा वे पूर्व से एकपक्षीय हैं।

6— वादीगण की ओर से प्रतिदावा के लिखित कथन में प्रतिदावा के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया गया है कि विवादित भूमि पर वादीगण का 40-50 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है तथा तहसीलदार बैहर के द्वारा प्रकरण में विधिवत् कार्यवाही कर आदेश दिनांक-13.04.2012 पारित किया गया है। विवादित भूमि का प्रतिवादी क्रमांक-1 के पिता को विक्रय नहीं किया गया और न ही कब्जा दिया गया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 का प्रतिदावा सब्यय निरस्त किया जावे।

7— उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :-

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या ग्राम कोहका, प.ह.नं. 20, रा.नि.मं. एवं तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नम्बर 69/1, 69/2 रकबा क्रमशः 2.10, 2.11 एकड़ भूमि पर वादीगण का 40-50 वर्ष से लगातार शांतिपूर्वक, निर्बाध रूप से प्रतिवादी की जानकारी में विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो चुका है ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या उक्त विवादित भूमि का प्रतिवादीगण के द्वारा अवैध रूप से विक्रय किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं
3	क्या प्रतिवादी क्रमांक-1, उक्त विवादित भूमि का वादीगण से रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का हकदार है ?	प्रमाणित नहीं
4	क्या तहसीलदार बैहर द्वारा पारित आदेश दिनांक-23.04.2012 विधि विरुद्ध होने से प्रतिवादी क्रमांक-1 पर प्रभावशून्य है ?	प्रमाणित नहीं
5	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

वादप्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण

8— यह साबित करने का भार वादीगण पर है कि विवादित भूमि पर वादीगण का 40-50 वर्ष से लगातार शांतिपूर्वक, निर्बाध रूप से प्रतिवादीगण की जानकारी में विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो चुका है। वादीगण ने अपने

पक्ष समर्थन में विवादित भूमि के वर्तमान खसरा फार्म वर्ष 2014-15 एवं किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2014-15 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-1 एवं प्रदर्श पी-2 में भूमि-स्वामी के रूप में रामप्रसाद पिता बिसराम का नाम लेख है। उक्त राजस्व अभिलेख के अलावा विवादित भूमि के अन्य राजस्व अभिलेख पेश नहीं किये गए हैं। वादीगण की ओर से विवादित भूमि उनकी तथाकथित पैतृक खानदानी भूमि होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है और न ही तथाकथित मूल पुरुष नन्दू के द्वारा विवादित भूमि को वादी क्रमांक-1 को बख्शीश करने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश है। इस प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथमदृष्टया यह उपधारणा की जा सकती है कि विवादित भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1 के स्वत्व की भूमि है।

9— वादीगण की ओर से तहसीलदार बैहर के राजस्व प्रकरण क्रमांक-7/अ-6-अ/2010-11 में पारित आदेश दिनांक-23.04.2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 पेश की गई है, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी बतनबाई के साथ बजरोबाई ने बिसराम के विरुद्ध विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख पांचसाला खसरा के कॉलम नंबर 12 में कब्जा दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि के खसरा के कॉलम नंबर 12 में उनका नाम कब्जेधारी के रूप में दर्ज किया है। यद्यपि उक्त राजस्व प्रकरण बतनबाई ने प्रतिवादी क्रमांक-1 के पिता बिसराम के विरुद्ध पेश किया है, जिस पर प्रतिवादी पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 के पिता बिसराम की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी थी और मृत व्यक्ति के विरुद्ध उक्त प्रकरण पेश कर अवैध रूप से राजस्व न्यायालय से आदेश प्राप्त किया गया है। वादीगण की ओर से राजस्व न्यायालय के उक्त प्रकरण की आदेश पत्रिका पेश नहीं है तथा आदेश दिनांक-23.04.2012 प्रदर्श पी-3 से यह परिलक्षित नहीं होता कि उक्त प्रकरण में बिसराम या उसकी ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित था या उसे सुनवाई का मौका देकर आदेश पारित किया गया है।

10— प्रकरण में वादीगण की ओर से विवादित भूमि के खसरा फार्म वर्ष 2014-15 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-1 में प्रतिवादी क्रमांक-1 के भूमि-स्वामी हक की भूमि पर कॉलम नंबर 12 में उक्त राजस्व प्रकरण में पारित आदेश दिनांक-02.04.2012 के अनुसार बतनबाई एवं बजरोबाई का कब्जा एवं कास्त दर्ज किया जाना प्रकट होता है। यह उल्लेखनीय है कि वादीगण की ओर से राजस्व न्यायालय के

आदेश दिनांक-23.04.2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 पेश की गई है तथा उक्त आदेश दिनांक-23.04.2012 का उल्लेख अभिवचन में नहीं किया गया है और कथित रूप से दिनांक-13.04.2012 के आदेशानुसार कब्जा दर्ज किया जाना वादपत्र में अभिवचन किया है। इस प्रकार विवादित भूमि के खसरा के कॉलम नंबर-12 में राजस्व न्यायालय के तथाकथित आदेश दिनांक-02.04.2012, तहसीलदार बैहर के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 में आदेश दिनांक-23.04.2012 एवं वादपत्र के अभिवचन में आदेश दिनांक-13.04.2012 के अनुसार कब्जा दर्ज करना प्रकट होता है। वादीगण की ओर से विवादित भूमि के खसरा के कॉलम नंबर-12 में कथित कब्जा दर्ज करने के संबंध में अभिवचन एवं दस्तावेजों में परस्पर तीन भिन्न-भिन्न आदेश दिनांक का उल्लेख होने से उक्त परस्पर असंगत आदेश दिनांक से कब्जे की प्रविष्टि का वादीगण को लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है।

11— वादीगण ने मौखिक साक्ष्य के रूप में बतनबाई (वा.सा.1) एवं दशरुसिंह (वा.सा.2), रामलाल (वा.सा.3) एवं नानाजी (वा.सा.4) के कथन कराए हैं। बतनबाई (वा.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि तहसीलदार बैहर के द्वारा भूमि के राजस्व अभिलेख कॉलम नंबर 12 में एकपक्षीय कार्यवाही कर कब्जा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि विवादित भूमि किसके नाम पर हैं, इस संबंध में राजस्व अभिलेख और पटवारी से जानकारी प्राप्त नहीं की थी। दशरुसिंह (वा.सा.2) ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि वर्ष 1972 से वर्तमान तक विवादित भूमि पर किसका नाम दर्ज है, उसे जानकारी नहीं है। वादी पक्ष के अन्य साक्षी रामलाल (वा.सा.3) एवं नानाजी (वा.सा.4) ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में किसका नाम दर्ज है, उन्हें जानकारी नहीं है। इस प्रकार उक्त सभी वादी साक्षीगण ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें विवादित भूमि के वास्तविक भूमि स्वामी की जानकारी नहीं है।

12— वादीगण ने अपने अभिवचन में एवं मौखिक साक्ष्य में विवादित भूमि पर खानदानी हक होने के आधार पर स्वामी के रूप में दावा पेश करने के साथ विरोधी आधिपत्य के आधार पर भी स्वत्व प्राप्त होने का दावा पेश किया है। इस प्रकार वादीगण ने वादपत्र में विवादित भूमि पर स्वत्व प्राप्त होने के संबंध में परस्पर असंगत अभिवचन कर दो नाव पर सवार होकर पार करने का प्रयास किया गया है। वास्तव में विधिक स्थिति यह है कि वादीगण के द्वारा विवादित भूमि पर खानदानी भूमि होना

अभिवचन कर स्वत्व प्राप्त होने का दावा किये जाने पर विबंध का सिद्धांत लागू होने से उसी भूमि पर वादी की हैसियत से विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व का दावा पेश किये जाने की स्वतंत्रता वादीगण को प्राप्त नहीं हो सकती। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **गफूर खान विरुद्ध सुल्तान जेहान 2006(3) एम.पी.एल.जे. 112** में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हक एवं प्रतिकूल कब्जे का अभिवाक् आपस में असंगत है एवं जब तक पहले का त्यजन नहीं हो जाता तब तक दूसरा क्रियाशील नहीं होता। वादीगण ने विवादित भूमि पर स्वयं को खानदानी या पैतृक हक के आधार पर स्वत्व प्राप्त होने संबंधी अभिवचन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश न करने से वादीगण के विरुद्ध प्रतिकूल उपधारणा की जा सकती है कि वादीगण ने श्रेष्ठ साक्ष्य उपलब्ध होते हुए भी उसे अपने समर्थन में बिना पर्याप्त कारण के पेश नहीं किया है, इस कारण वादीगण का मामला वादीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

13— न्यायदृष्टान्त **टी0 अन्जनप्पा एवं अन्य विरुद्ध सोमलिंगप्पा एवं अन्य (2006) 7 एस0सी0सी0 570** में माननीय उच्चतम न्यायालय का यह अभिमत है कि विरोधी आधिपत्य का दावा करने वाले व्यक्ति को यह दिखाना होता है कि उसका आधिपत्य वास्तविक स्वामी के प्रतिकूल था। विरोधी आधिपत्य का दावा करने वाला यह निश्चित नहीं है कि दाविया भूमि का वास्तविक स्वामी कौन है तब उसके विरोधी आधिपत्य में होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार न्यायदृष्टान्त **पी0 टी0 मुनिचिक्कन्ना रेड्डी विरुद्ध रेवम्मा एवं अन्य ए 0आई0आर0 2007 एस0सी0 1753** में माननीय उच्चतम न्यायालय का यह अभिमत है कि विरोधी आधिपत्य के प्रमाण हेतु यह आवश्यक है कि विरोधी आधिपत्यधारी का कब्जा विरोधी होने की युक्तियुक्त सूचना एवं अवसर दस्तावेजी स्वामी को पर्याप्त रूप से दी गई है।

14— न्याय दृष्टान्त **कर्नाटक बोर्ड ऑफ वक्फ विरुद्ध गर्वमेंट ऑफ इंडिया एवं अन्य (2004) 10 एस0सी0सी0 779** में माननीय उच्चतम न्यायालय का यह अभिनिर्धारित किया है कि विरोधी आधिपत्य में न केवल विधि का अर्न्तनिहित प्रश्न है, बल्कि यह तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है। जो व्यक्ति विरोधी आधिपत्य का दावा करता है उसे दिखाना होगा कि (अ) वह किस दिनांक को कब्जे में आया था, (ब) वह किस प्रकार काबिज है, (स) कब्जे के बाद उसकी जानकारी दूसरे पक्ष को कब हुई, (द) उसका कब्जा कितने समय से लगातार है, और (इ) उसका कब्जा खुले रूप

से निर्बाध रहा है। विरोधी आधिपत्य का अभिवचन करने वाला व्यक्ति विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की मांग साम्या के रूप में नहीं कर सकता। वह सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी के अधिकार का हनन करने का प्रयत्न करता है। इस कारण उसे स्पष्ट रूप से अभिवचन करने के साथ उसके सभी आवश्यक तथ्यों को स्थापित करते हुए विरोधी आधिपत्य को प्रमाणित करना होगा।

15— वादीगण ने वादपत्र में विवादित भूमि पर कथित विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की घोषणा हेतु वाद कारण प्रथम बार दिनांक—08.07.2009 को उत्पन्न होना प्रकट किया है। परिसीमा अधिनियम 1963 के सुसंगत प्रावधान अनुच्छेद 64 के अंतर्गत स्थावर सम्पत्ति के लिए जो पूर्ववर्ती कब्जे के आधार पर हो और हक के आधार पर न हो, जबकि वादी सम्पत्ति पर कब्जा रखते हुए बेकब्जा कर दिया गया है तथा अनुच्छेद 65 के अंतर्गत हक के आधार पर स्थावर संपत्ति या उसमें के किसी हित के कब्जे के लिए विहित परिसीमा काल 12 वर्ष दी गई है। इस प्रकार वाद में वादीगण द्वारा प्रकट किये गए दिनांक—08.07.2009 को प्रथम बार वाद कारण उत्पन्न होने के 12 वर्ष पूर्व होने के पूर्व अर्थात् परिपक्व अवधि के पूर्व ही दावा पेश किया है। विधायिका की मंशा यह प्रतीत होती है कि उक्त विधिक उपबन्ध व कालावधि केवल प्रतिवादी के लिए अपने कब्जे व हित को संरक्षित रखने व बचाव पेश करने के लिए प्रदत्त की गई है, न कि वादी को उक्त विहित कालावधि से वाद प्रस्तुति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त करने की। न्यायदृष्टांत— **Gurdwara Sahib v. Gram Panchayat Village Sirthala, (2014) 1 SCC 669** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की घोषणा का दावा अनुमत योग्य नहीं है, बल्कि विरोधी आधिपत्य को ढाल या बचाव के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि वादी को उसका विरोधी आधिपत्य पाये जाने पर भी स्वत्व की घोषणा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार उक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में वादपत्र में वाद कारण प्रकट न होने से तथा विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की घोषणा का वाद प्रचलनीय नहीं होने से वादीगण का वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

16— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य एवं विधिक स्थिति की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि वादीगण ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि उनका विवादित

भूमि पर खुले रूप से लगातार 12 वर्ष से अधिक समय से, अबाध, शांतिपूर्ण प्रतिवादीगण की जानकारी में उसके स्वत्वों को नकारते हुए आधिपत्य चला आ रहा है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-1 “प्रमाणित नहीं” के रूप में निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-2 का निराकरण

17— विवादित भूमि का प्रतिवादीगण के द्वारा अवैध रूप से विक्रय किये जाने का प्रयास किये जाने के संबंध में वादीगण ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। वैसे भी वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध विवादित भूमि का अंतरण करने से रोकने हेतु कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। अतएव साक्ष्य के अभाव में वादप्रश्न क्रमांक-2 “प्रमाणित नहीं” के रूप में निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक-3 व 4 का निराकरण

18— प्रतिवादी क्रमांक-1 ने विवादित भूमि का वादीगण से रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने एवं तहसीलदार बैहर द्वारा पारित आदेश दिनांक-23.04.2012 विधि विरुद्ध होने से प्रतिवादी क्रमांक-1 पर प्रभावशून्य होने के अनुतोष के संबंध में प्रतिदावा पेश किया है, जिसे साबित करने का भार प्रतिवादी क्रमांक-1 पर ही है। उक्त प्रतिदावा के समर्थन में प्रतिवादी क्रमांक-1 ने स्वयं या अन्य साक्षी के कथन न्यायालय के समक्ष नहीं कराए हैं। जिस प्रकार वाद प्रमाणन का भार वादी पर होता है, उसी प्रकार प्रतिदावा प्रमाणन का भार प्रतिवादी पक्ष पर होता है। प्रतिवादी क्रमांक-1 प्रतिदावा प्रमाणित करने हेतु वादी पक्ष के किसी कमी का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, बल्कि प्रतिवादी क्रमांक-1 को स्वयं के बल पर प्रतिदावा साबित करना था। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने प्रतिदावा में चाहे गए अनुतोष हेतु साक्ष्य पेश नहीं किये जाने से साक्ष्य के अभाव में प्रतिदावा प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी दशा में प्रतिवादी क्रमांक-1 को विवादित भूमि का वादीगण से रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने एवं तहसीलदार बैहर के आदेश दिनांक-23.04.2012 के संबंध में अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-3 व 4 “प्रमाणित नहीं” के रूप में निराकृत किया जाता है।

सहायता एवं व्यय

19— वादीगण ने अपना वाद एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 ने प्रतिदावा प्रमाणित नहीं किया है। अतएव वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 का प्रतिदावा निरस्त कर वाद में निम्नानुसार आज्ञा पारित की जाती है :-

- (1) वादीगण का दावा निरस्त किया जाता है।
- (2) प्रतिवादी क्रमांक-1 का प्रतिदावा निरस्त किया जाता है।
- (3) उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

(सिराज अली)

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)